



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में लडकी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अंकुश को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 07 वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2017 में अभियुक्त अंकुश पुत्र रमेश निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा वादी की भतीजी के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 364/2017 धारा 363/366/376डी भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 29.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-05 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अंकुश को दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त अंकुश को उक्त अभियोग की धारा 363 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में दोष मुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री नरेन्द्र सिंह पंवार एडीजीसी
जनपद बागपत



उ0नि0 अनिल कुमार कोट
पैरोकार थाना छपरौली



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में नाबालिग लडकी के साथ छेड़छाड करने के आरोपी नफीस को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2016 में अभियुक्त नफीस पुत्र फरियाद निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 669/2016 धारा 354/323/504/376/511 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 29.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट-05 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त नफीस को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त नफीस को उक्त अभियोग की धारा 376/511/504/323 भादवि में दोष मुक्त किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री नरेन्द्र सिंह पंवार एडीजीसी
जनपद बागपत



आरक्षी प्रवीण कुमार कोट
पैरोकार थाना बडौत



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

जनपद बागपत

दिनांक 29.03.2025

बागपत पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का

नाम व पता:-

- 1-मनीष पुत्र तेजू उम्र करीब वर्ष निवासी ग्राम नगलाबडी थाना खेकडा जिला बागपत ।
- 2-संजय पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-सलीम पुत्र सरवर निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-जयवीर पुत्र रणवीर निवासी ग्राम रहतना थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 5-विक्रम सिंह पुत्र कश्मीरी निवासी ग्राम बेगमाबाद गढी थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थाना खेकडा पुलिस टीम ।
- 2-थाना दोघट पुलिस टीम ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 29.03.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 20 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग 107/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

दिलशाद पुत्र इसूब निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 20 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री संजय सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2 उ0नि0 भूवनेश्वर कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3.उ0नि0 सुजीत कुमार चौधरी थाना खेकडा जनपद बागपत ।

4.है0का0 289 शैलेन्द्र थाना खेकडा जनपद बागपत ।

5.का0 1048 मुनेन्द्र थाना खेकडा बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 29.03.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 25 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 25 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 106/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

आकाश पुत्र डालचंद निवासी नानू रोड करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- 25 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री कपिल चौहान थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2.है0का0 398 अनुज कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3.का0 250 कोमल चौधरी थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 29.03.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 57/25 धारा 140(2) बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.03.2025 को थाना चांदीनगर पर वादी नौशाद पुत्र आसुद्दीन निवासी गोयला थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर, हाल पता- पीर वाली गली सुनहरी मस्जिद के पास थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ने लिखित तहरीर दी कि वादी का साला सरताज ताबीज देने के लिए ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर में गया था, जहां से अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के साले सरताज का अपहरण कर 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 57/25 धारा 140(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 57/25 धारा 140(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट –दिनांक 28-03-2025 को उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अपहृत सरताज पुत्र यामीन निवासी तावली थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर को अल्प समय में सकुशल बरामद कर अभियुक्त इरफान पुत्र रियाजूद्दीन निवासी अर्थला थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद हाल पता केयर आफ शकील पुत्र राहिल निवासी नई मस्जिद बासौला पट्टी पसौडा थाना टीला मोड़ गाजियाबाद को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सलमान पुत्र जमील निवासी निकट मुस्लिम इंटर् कालेज ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री रजनीश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-है0का0 14 अश्वनी चौधरी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 29.03.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 56/25 धारा
69/115(2)/352/351(3)/131 बीएनएस में वांछित एक अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 56/25 धारा 69/115(2)/352/351(3)/131 बीएनएस में नामित अभियुक्त साहिब पुत्र अय्यूब को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साहिब पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-है0का0 576 अरविन्द कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक – 29.03.2025

थाना दोघट पुलिस एवं सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 292/2020 धारा 420/467/468/471 भादवि में वांछित 15 हजार रुपये के इनामी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक- 25.12.2020 को वादी श्री रुबल राठी पुत्र स्व0 सुकरमपाल निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ने प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण 1.अरुण पुत्र सतेन्द्र निवासी पट्टी मैनमाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जिला बागपत, 2.अशोक पुत्र सिकन्दर निवासी पट्टी दाबडा कस्बा टीकरी थाना दोघट जिला बागपत,



3.गौरव पुत्र राजकुमार निवासी पट्टी छीजाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जिला बागपत, 4.पप्पू पुत्र नामालूम निवासी ग्राम पसवाडा थाना मवाना जिला मेरठ 5.कंवरपाल हलवाई पुत्र गुट्टा हलवाई निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जिला बागपत, 6.तत्कालीन बैंक मैनेजर दिव्येश त्रिपाठी सिंडिकेट बैंक ब्रांच दोघट थाना दोघट जिला बागपत, 7.तत्कालीन फील्ड आफिसर गौरव सिंडिकेट बैंक ब्रांच दोघट थाना दोघट जिला बागपत द्वारा फर्जी तरीके से वादी के पिता सुकरमपाल व चाचा विजयपाल के फर्जी पहचान पत्र बनवाकर मकान का बैनामा करा लेना व बैंक कर्मियों से साठगांठ कर धोखाधडी से 10 लाख रुपये का फर्जी तरीके से सिंडिकेट बैंक कस्बा दोघट से लोन करा लेना । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 292/2020 धारा 420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु०अ०सं० 292/2020 धारा 420/467/468/471 भादवि में वांछित 15 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त अशोक पुत्र श्रद्धानन्द को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अशोक पुत्र श्रद्धानन्द निवासी ग्राम पसवाडा थाना किला परीक्षितगढ जनपद मेरठ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु०अ०सं० 292/2020 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।

2-मु०अ०सं० 285/2021 धारा 174ए भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री बच्चू सिंह थाना दोघट बागपत।

2-प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा सर्विलांस सैल बागपत मय टीम।

3-व०उ०नि० कृपेन्द्र सिंह थाना दोघट बागपत।

4-उ०नि० तेजवीर सिंह थाना दोघट बागपत।

5-उ०नि० वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट बागपत।

6-उ०नि० विपिन कुमार थाना दोघट बागपत।

7-उ०नि० प्रान्शु राजपूत थाना दोघट बागपत।

8-म०उ०नि० नीरज चौधरी थाना दोघट बागपत।

9-है०का० 118 अश्वनी कुमार थाना दोघट बागपत।

10-है०का० 607 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट बागपत।

11-का० 951 पिताम्बर कुमार थाना दोघट बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 29.03.25

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 138/25 धारा 191(2)/115(2)/109/117(2)/324(4) बी.एन.एस. में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.03.2025 को थाना बडौत पर वादी श्री गौरव राठी पुत्र श्री ब्रह्मपाल सिंह राठी निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. अंकुर, 2.अंशुल पुत्रगण राजवीर, 3.राजवीर पुत्र खिलारी, 4. अंकुर पुत्र मनोज, 5.मनोज पुत्र रामफल निवासीगण ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत, 6.मनीष पुत्र अहलावत पुत्र नामालूम निवासी वलीदपुर जनपद मेरठ व अन्य अज्ञात द्वारा उसके ताऊ श्री ओमपाल सिंह पुत्र चौल सिंह निवासी आदर्श नगर निकट बिनौली रेलवे फाटक कस्बा बडौत थाना बडौत जनपद बागपत के साथ एक राय होकर जान से मारने की नीयत से हमला कर मारपीट की गयी जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गये तथा उनकी गाडी वेंगनार को क्षतिग्रस्त कर दिया । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 138/25 धारा 191(2)/115(2)/109/117(2)/324(4) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।



नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा पूर्व में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने

के मु0अ0सं0 138/25 धारा 191(2)/115(2)/109/117(2)/324(4) बी.एन.एस. में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

- 1.अंकुर पुत्र मनोज निवासी ग्राम गांगनौली पट्टी हसान थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2.अनिकेत पुत्र नरेन्द्र निवासी ग्राम दुल्हैड़ा थाना पल्लवपुरम जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रामकुमार सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 893 राहुल शर्मा थाना बडौत जपनद बागपत ।
- 3-का0 919 गजेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 29.03.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 128/25 धारा 61(2)/316(5) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.03.25 को वादी श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह हाल प्रबंधक सीएमएस मेरठ निवासी तेजबिहार रोहटा रोड थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-गौरव पुत्र कुलदीप सिंह निवासी ग्राम जोहड़ी थाना बिनौली जनपद बागपत, 2-रॉकी पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम हसनपुर थाना व जनपद शामली के द्वारा सीएमएस बैंको से कुल 5,26,12,700 रुपये कैश एटीएम में जमा कराने के लिये लिए गये, किन्तु अभियुक्तों द्वारा रूपयों को एटीएम में जमा न कराकर गबन कर लिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 128/25 धारा 316(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया



नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा पूर्व में 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु नलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने

के मु०अ०सं० 128/25 धारा 316(5)/61(2) बीएनएस में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव पुत्र अरूण निवासी ग्राम आरिफपुर खेडी (अंगदपुर जौहडी) थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-उ०नि० श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-का० 525 महेशचन्द थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-का० 775 मंजीत पूनिया थाना बडौत जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 29.03.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1007/2024 धारा 74/115(2)/352/351(2)/78 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1007/2024 धारा 74/115(2)/352/351(2)/78 बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

प्रमोद पुत्र मदनपाल निवासी खादिया आश्रम के पास सिसाना रोड़ के0डी0आर0 स्कूल वाली गली कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार चौहान थाना बागपत जनपद बागपत।
- 2-का0 369 विशाल पंवार थाना बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 982 नीरज कुमार थाना बागपत जनपद बागपत।